17/7/25 पत्रावली वास्ते रिपोर्ट पेश हुई। उक्त प्र-
उपरान्त प्राप्त प्रार्थी निर्णय हेतु पत्रावली
चिन्हित तिथि शामिल- रिकार्ड दाखिल दफ्तर
की जावे।

रिपोर्ट [illegible]

GCMS
2024/780

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी संदीप कुमार, आर.ए.एस.

पत्रावली सं. 341/24 GCMS:-2024/780 दायरा दिनांक : 17.12.2024

मस्तानराम पुत्र सुरजाराम जाति नायक साकिन उदयपुर गोदारान तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, राज0।

—— **प्रार्थी**

ब ना म्

1. श्री ख्यालीराम पुत्र श्री सुरजाराम } अकवाम् नायक साकिनान उदयपुर गोदारान
2. श्री डूंगरराम पुत्र श्री सुरजाराम } तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
3. श्री बृजलाल पुत्र श्री भादराम उर्फ बहादुरराम जाति सांसी साकिन राजियासर स्टेशन तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
4. शाखा प्रबन्धक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 शाखा सूरतगढ़।
5. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर वर्तमान एस.बी.आई. शाखा सूरतगढ़।
6. उपपंजीयक महोदय, राजियासर स्टेशन।
7. राजस्थान–सरकार जरिये पैरोकारराज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़।

—— **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना–पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थित :–

1. श्री राजवीर भादू	अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा	अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3
3. श्री रामनारायण	अभिभाषक अप्रार्थी सं. 2
4. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़	राज्य–सरकार की ओर से

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

निर्णय दिनांक : 17.07.2025

पत्रावली निर्णय के लिये प्रस्तुत हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में पत्रावली के विचारण बिन्दु इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा एक वाद बाबत खाता विभाजन हेतु प्रस्तुत कर वाद के साथ प्रार्थना–पत्र वास्ते स्थगन इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि चक 33.846 तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 की खाता सं. नया 19/33 के प. नं. 117/21 मु. नं. 2 किला नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 22 ता 25 में कुल 3.7950 है0क0 एस.एल., मु. नं. 7, प. नं. 117/22 में कि. नं. 3 ता 9, 13–14/2.277 है0 क0 एस.एल., मु. नं. 3, प. नं. 117/29 में किला नं. 1 ता 25 में कुल 6.325 है0, मु. नं. 6, प. नं. 117/30 कि. नं. 1 में 0.2530 है0 कमाण्ड एस.एल. कुल भूमि 12.6500 है0 कमाण्ड एस.एल. खातेदारी दर्ज कागजात राज है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 1 व 2 का प्रत्येक का 2/7 हिस्सा व अप्रार्थी नं. 3 का 1/7 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज कागजात राज है। प्रार्थी को 2/7 हिस्सा विरास्तन प्राप्त हुई है जिस पर वह काबिज है। अप्रार्थी नं. 1 ता 3 प्रार्थी की सुधारी हुई भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है जबकि प्रार्थी अपनी भूमि का अच्छीमें अच्छी व खराब में खराब रास्ता व खाला की सुविधा को ध्यान में रखकर खाता विभाजन चाहता है। अप्रार्थीगण खाता विभाजन नहीं करवा रहे इसलिये वाद प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है। दौराने वाद अप्रार्थीगण को मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व प्रार्थी के काश्त में दखलन्दाजी न करें इस हेतु वाद चलन के दौरान स्थगन प्रदान करने की प्रार्थना की गई। प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थी को इकतरफा सुनकर अप्रार्थीग[illegible] की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थना–पत्र पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का स्थ[illegible] दि[illegible]या व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 व 4 ता 6 [illegible] इकतरफा के आदेश दिये गये। अप्रार्थी सं. 2 व 3 के अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रा[illegible] 3 के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं. 1 व 2 के बीच साज बाज है। अप्रार्थी नं. 3 की भूमि जो कुल भूमि में 1/7 हिस्सा के कुछ हिस्से पर अप्र[illegible]ण काबिज है व जबरन कब्जा बनाये रखने के लिये स्थगन लिया गया है। प्रार्थी नेकनियत नहीं है। अप्रार्थी स्वयं विभाजन करवाने को तैयार है। इकतरफा जारी स्थगन को निरस्त करने की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। बाद आने जवाब पक्षकारान की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:09 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि वादग्रस्त भूमि के प्रार्थी व अप्रार्थीगण अंकित काश्तकार है। खाता विभाजन के अधिकारी है। वाद चलन के दौरान भूमि हस्तान्तरण ना हो व वाद की बहुलता ना हो इसलिये पूर्व में जारी अन्तरिम स्थगन को वाद निर्णय तक कायम रखने की प्रार्थना की। बहस के समर्थन में राजस्व मण्डल के न्याय निर्णय प्रकाशित RRT–2021(2) 1325 चन्दा कंवर बनाम् गजेन्द्र सिंह निर्णय 27.7.21 प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक अप्रार्थी नं. 3 द्वारा प्रार्थी का विरोध करते हुए निवेदन किया कि मुताबिक जमाबन्दी स्थगन प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी नं. 3 चक 33.846 आर.डी.एल. सम्वत् 2073 ता 2076 खाता सं. नया 19 पुराना 33 प. नं. 117/21, 117/22, 117/29, 117/30 की 12.650 है0 कमांड एस.एल. खातेदारी कृषि भूमि में 1/7 हिस्सा का खातेदार कृषक बतौर सहकाश्तकार दर्ज है, मौका पर काबिज है। केवल मात्र अप्रार्थी की कृषि भूमि में मदाखलत बेजा करने की नियत से अप्रार्थी नं. 2 व 3 से मिलकर प्रार्थी ने एकतरफा स्थगन प्राप्त किया है। राजस्व मण्डल के निर्णयों के अनुसार अंकित सहकाश्तकार के विरूद्ध स्थगन प्रदान न करने के प्रावधान है। क्योंकि विभाजन पूर्व सभी काश्तकारों का संयुक्त खाता की भूमि में प्रत्येक इंच–इंच भूमि पर सहकब्जा माना जाता है। अंकित काश्तकार के विरूद्ध न्याय अनुसार भी स्थगन देना उचित नहीं। द्वितीय इस तथ्य से स्वयं प्रार्थी का भी इंकार नहीं कि अप्रार्थीगण अंकित भूमि से अधिक स्पष्ट आधार पर काश्त कर रहे हैं। प्रत्येक अंकित काश्तकार को इस आधार पर भी स्थगन प्रार्थना–पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की गई और बहस के समर्थन में RBJ 1999 Page 301 व RRD 1998 Page 79 प्रस्तुत किये। योग्य अभिभाषकगण की बहस सुनने के बाद पूर्ण पत्रावली का बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण अध्ययन करने पर पाया कि सभी पक्षकार प्रार्थी नं. 1 व अप्रार्थी नं. 1 ता 3 अंकित सहकाश्तकार खातेदार काश्तकार है। सभी भूमि पर हिस्सानुसार काबिज हैं। यह तथ्य भी प्रकट हो रहा है। तुरन्त किसी काश्तकार को अपने अंकित भूमि के कब्जे से बेदखल करने की प्रयास बलपूर्वक पूर्व में हुआ हो ऐसा प्रकट नहीं हो रहा है। प्रार्थी के शपथ–पत्र का अप्रार्थी नं. 3 द्वारा शपथ–पत्र के माध्यम से इंकारी शपथ–पत्र भी शामिल पत्रावली है। इससे प्रार्थी का शपथ–पत्र संदेह से परे नहीं माना जा सकता। प्रार्थना–पत्र धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं होता। इस बिन्दु पर न्यायिक निर्णयों के अध्ययन करने पर पाया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं. 1 ता 3 अंकित सहकाश्तकार खातेदार वादग्रस्त भूमि के है। प्रथमतः अंकित काश्तकार के विरूद्ध स्थगन प्रदान ना करने के सिद्धान्त प्रस्तुत न्याय निर्णय RBJ 1999 पेज 301 व हस्तान्तरण न करने हेतु अंकित काश्तकार के विरूद्ध स्थगन न देने के न्याय निर्णय RRD 1998 पेज 79 इस मामले में प्रभावशील है। जहां तक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय का प्रश्न है। इस न्याय निर्णय में विभाजन का वाद प्रस्तुत होने पर वादग्रस्त सम्पत्ति को संरक्षित करने का विचार न्याय निर्णय में दिया गया है। इस बिन्दु पर न्याय निर्णय प्रकाशित RRD 1998 Page 79 अधिक प्रभावशील प्रतीत होता है। अंकित काश्तकार को विभाजन का वाद होने पर भी सम्पत्ति का अन्तरण वाद के निर्णय हेतु नुकसानदायक होगा। यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी से प्रकट नहीं होता। विभाजन का अन्तरण मात्र अंकित हिस्से का होगा विशिष्ट भूमि का नहीं, इस अवस्था में अन्तरण के पक्षकारों के अधिकारों में किसी प्रकार का प्रभाव होगा ऐसा प्रार्थी प्रकट नहीं कर पाया है। बाद में प्राथमिक रुप से मामला विभाजन का बनता है। अपूर्णनीय क्षति व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते। प्रस्तुत न्याय निर्णय के परिणामस्वरुप अंकित काश्तकार को उसके विधि सम्मत अधिकारों से, दौराने वाद वंचित करना कतई उचित नहीं माना जा सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.23 14:08:09 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना–पत्र धारा 212 आर.टी.ए. निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरुप पूर्व में जारी एकतरफा स्थगन आदेश दिनांक 17.12.2024 निरस्त कर आदेश दिया जाता है पत्रावली फैसला शुमार कर दाखिल दफ्तर की जावे।

आज दिनांक 17.07.25 को मेरे द्वारा यह निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)